न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 24/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 बालार्क जी का मन्दिर जरिये प्रबन्धक धनराज जोशी पुत्र श्री लीलाधर जोशी एडवोकेट अध्यक्ष श्री बालार्क मन्दिर समिति जोशी वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 आम्बाराम पुत्र चान्दाराम 2 मोतीलाल पुत्र तुलछाराम 3 नाराणाराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 92ए RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री प्रेमाराम सोनी वकील वादी।

निर्णय

दिनांक 08/01/21

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि बाडमेर शहर में जोशियों के निचले वास में श्री बालार्क जी भगवान का एक मन्दिर आया हुआ है, जो सुर्य मन्दिर है तथा लगभग 200 वर्ष पुराना है। इस मन्दिर की सेवा, पूजा व व्यवस्था सांचौरा जोशी ब्राह्मण समजा द्वारा गठित श्री बालार्क मन्दिर समिति द्वारा की जा रही है। सुस्थापित विधि के अनुसार देवता को शाश्वत नाबालिग माना गया है। फलस्वरूप इस मन्दिर का प्रन्यास बना हुआ है, जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत देवस्थान विभाग जोधपुर में पंजीबद्ध है, जिसका पंजीयन क्रमांक 211/76 बाडमेर है। मन्दिर की प्रबन्ध समिति की और से इस मन्दिर प्रन्यास के हित में वाद प्रस्तुत किया गया है। श्री बालार्क मन्दिर की डोली व खातेदारी की अन्य सहित एक भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 96 रकबा 18.06 बीघा आई हुई है, जो राजस्व अभिलेख में वादी श्री बालार्क जी का मन्दिर बाडमेर के नाम से खातेदारी में अंकित है। इस खेत को प्रारम्भ में मन्दिर के पूजारी श्री टीकमचन्द जोशी काश्त करते थे तथा उनके देहान्त के बाद में वर्तमान में इस खेत के दक्षिणी पड़ौसी श्री गोरखाराम पुत्र हेमाराम जाति माली द्वारा पांती (शेयर) पर काश्त किया जाता है। वादी के हाली श्री गोरखाराम द्वारा वादी के प्रबन्धक को सूचना दी कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 96 के पश्चिमी पड़ौसी अर्थात खसरा संख्या 95 के खातेदार प्रतिवादीगण, वादी के खेत के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित माठ को तोड़ने व सीमा से आगे वादी के खेत में टुकडे लगाने का प्रयास कर रहे है, जिस पर दिनांक 15.07[illegible] वादी का प्रबन्धक अपनी समिति के पदाधिकारियों तथा अपने [illegible] को साथ लेकर मौके पर गये और प्रतिवादीगण को समझाया कि [illegible] की खातेदारी भूमि [illegible] पर अतिक्रमण करना अच्छी बात नही है। तब प्रतिवादीगण ने कहा कि हल्का [illegible] एवं पूर्व भू—अभिलेख निरीक्षक श्री अमराराम को साथ लेकर आओ और उनके द्वारा नाप करके, जो बिन्दु कायम करेंगे वो हमे मान्य होंगे। तत् पश्चात हल्का पटवारी एवं पूर्व भू—अभिलेख निरीक्षक को साथ लेकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 96 को नाप कर पश्चिमी सीमा रेखा को निर्धारित कर बिन्दु कायम किये, जिस पर वादी की और से दोनों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

टूकड़े लगाने लगे तो प्रतिवादीगण द्वारा रोका गया तथा कहा की हम आपको टूकड़े लगाने नही देंगे और हम हमारी सीमा से आगे बढेंगे और हमें यह पैमाईश स्वीकार नही है। मन्दिर की थोड़ी बहुत जमीन दबा लेंगे तो क्या होगा। प्रतिवादीगण मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की धमकियां दे रहे है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। लिहाजा वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि खसरा संख्या 96 की पश्चिमी दिशा में मानचित्र के अनुसार सीमा रेखा से आगे नही बढे और पश्चिम दिशा में अवस्थित माठ के हिस्से में तोड़–फोड़ नही करे तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भाग में अतिक्रमण नही करें। साथ ही वादी को पश्चिमी सीमा में अपने टूकड़े लगाने में कोई अवरोध नही करें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादी की साक्ष्य में वादी अध्यक्ष श्री बालार्क मन्दिर समिति बाडमेर उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र वाद मुख्य परीक्षण सामिल मिसल किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि की पश्चिमी दिशा में मानचित्र के अनुसार सीमा रेखा से आगे बढने का प्रतिवादीगण बलपूर्वक प्रयास कर रहे है तथा वादी को पश्चिमी रेखा में अपने टुकड़े लगाने, तारबन्दी करने में अवरोध पैदा कर रहे है, जो अनुचित है। लिहाजा वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि खसरा संख्या 96 की पश्चिमी दिशा में मानचित्र के अनुसार सीमा रेखा से आगे नही बढे और पश्चिम दिशा में अवस्थित माठ के हिस्से में तोड़–फोड़ नही करे तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भाग में अतिक्रमण नही करें। साथ ही वादी को पश्चिमी सीमा में अपने टुकड़े लगाने में कोई अवरोध नही करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि श्री बालार्क जी के मन्दिर बाडमेर की डोली व खातेदारी की आई हुई है, जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073, प्रदर्श–2 नक्शा किस्तवार से प्रमाणित है। अभिलेख प्रदर्श–3 के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि श्री बालार्क भगवान की सेवा पूजा व व्यवस्था हेतु श्री बालार्क मन्दिर समिति बाडमेर गठित है, जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अंतर्गत ... जोधपुर से पंजीकृत है, जिसका पंजीयन संख्या 211/76 है। सुस्थापित विधि के अनुसार देवता को शाश्वत नाबालिग माना गया है। लिहाजा उक्त खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है और न ही खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में चीणे रोपने, तारबन्दी करने में रूकावट पैदा करने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

अतः वादी का वाद माफिक दावा स्वीकार किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 96 रकबा 18.06 बीघा भूमि की पश्चिमी दिशा में मानचित्र के अनुसार सीमा रेखा से आगे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और न ही वादी को पश्चिमी सीमा में अपने कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में टुकड़े लगाने, तारबन्दी करने में कोई अवरोध पैदा करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 08/01/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 08/01/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested